बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023 /9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिवः– * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्षः– * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्षः– * विनोद आनन्द

पत्रांक : 84 दिनांक 21.08.15

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों का सरकार द्वारा विधि सम्वत् कार्य नहीं किये जाने के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों का विधि सम्वत् कार्य सरकार द्वारा नहीं किये जाने का विवरणी समर्पित की जा रही है जो निम्न प्रकार है :–

(1) **<u>गैर संवर्गीय पर प्रतिनियुक्त सुरक्षित पद के विरूद्ध प्रोन्नति हेतु BAS Rule के संदर्भ में</u>** :–

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुर्नगठन 01.04.10 से हुआ है जिसके फलस्वरूप पदों की संख्या 2878 से घटकर 851 हो गयी जबकि उस वक्त वास्तविक पदो की संख्या करीब 1600 थी। वर्त्तमान में बिहार प्रशासनिक के पदाधिकारी की संख्या लगभग 1200 है जो स्वीकृत बल 851 लगभग 350 अधिक है इसके बावजूद संयुक्त परीक्षा 56वीं–59वीं परीक्षा हेतु **100 रिक्ति** भेज दी गई है तथा **ज्ञापांक–15378 दिनांक 11.11.14 द्वारा 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी** का स्थायी पद सृजित किया गया है इससे बेसिक ग्रेड के पदों की संख्या में 101 की वृद्धि कर दी गई है परन्तु प्रोन्नति वाले पदों की संख्या पूर्व की तरह ही है इससे प्रोन्नति में Stagnation और भी बढ़ गई है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन के साथ ही कार्यपालक दण्डाधिकारी का स्वीकृत पद 294 समाप्त कर राजस्व एवं ग्रामीण संवर्ग के पदाधिकारी के लिए क्रमशः 147–147 कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद सृजित किया गया है।

वर्त्तमान में सेवा अवधि/प्रोन्नति की स्थिति इस प्रकार है :–

28/08

मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा अवधि विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	36 बैच	1992	23 वर्ष
2	37 बैच	1993	22 वर्ष
3	38 बैच	1995	20 वर्ष
4	39 बैच	1996	19 वर्ष
5	40 बैच	1997	18 वर्ष
6	41 बैच	1999	16 वर्ष
7	42 बैच	2000	15 वर्ष

स्वीकृत बल से अतिरिक्त पदाधिकारी को विभिन्न विभागों के लिए सृजित पद (गैर संवर्गीय पद) पर पदस्थापित किया जा रहा है जिसके विरूद्ध प्रोन्नति देने का अनुरोध बार—बार संघ के द्वारा किया जाता रहा है। मूल कोटि के पदाधिकारी की संख्या बल इस प्रकार है :—

(1) दिनांक 18.08.2015 को मूल कोटि के पदाधिकारी की संख्या — 797

(2) मूल कोटि का स्वीकृत पद — 313

(3) मूल कोटि में स्वीकृत बल से अतिरिक्त पदाधिकारी की संख्या — 484

उपरोक्त वर्णित सेवा अवधि पूरी होने एवं अतिरिक्त संख्या बल के कारण प्रोन्नति में कोई प्रगति होने की सम्भावना नजर नहीं आती है।

प्रोन्नति नहीं होने का दुष्परिणाम यह है कि श्री शेषनाथ सिंह, उप सचिव 36वीं बैच योगदान का वर्ष 1992, 23 वर्ष की सेवा के उपरान्त मात्र एक प्रोन्नति पाकर दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृत्त हो चुके है उसी प्रकार श्री राजेश्वर झा योगदान का वर्ष 1992, 23 वर्ष की सेवा के उपरान्त दिनांक 31.01.2015 को वगैर प्रोन्नति पाये मूल कोटि में ही सेवानिवृत्त हो गये। श्री छगुरी मंडल योगदान वर्ष 1993, 22 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 को वगैर प्रोन्नति पाये मूल कोटि में ही सेवानिवृत्त हो गये। श्री करूजजमां योगदान वर्ष 1995, 20 वर्ष की सेवा पूरी कर वगैर प्रोन्नति पाये मूल कोटि में ही दिनांक 31.03.2015 को सेवानिवृत्त हो गये। श्री माहिर अब्दुल मनीर योगदान वर्ष 1995, 20 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त वगैर प्रोन्नति पाये दिनांक 30.04.2015 को सेवानिवृत्त हो गये।

23, 22, 20 वर्ष की सेवा एवं वगैर प्रोन्नति पाये सेवानिवृत्त होना बिहार राज्य के राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के लिए कही से भी शोभनीय नहीं है। जिसका उचित निदान आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जो काफी चिन्ता का विषय है।

उपरोक्त का समाधान किये वगैर रिक्ति नहीं होने के बावजूद 100 रिक्त BPSC को भेजे जाने के विरूद्ध संघ को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना मजबूरी हो जाएगी।

(2) <u>पदस्थापन में प्रशासनिक ढ़ांचा को ध्वस्त किये जाने के संबंध में</u> :–

इस संदर्भ में हाल में नियम/कानून को दरकिनार कर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है जो इस प्रकार है :–

(i) मूल कोटि के पदाधिकारी (ग्रेड पे0–5400) को उप सचिव स्तर (ग्रेड पे0–6600) के पद पर पदस्थापित किये जा रहे है जबकि उप सचिव स्तर (ग्रेड पे0–6600) के पदाधिकारी उपलब्ध है तथा उन्हें मूल कोटि के पद पर पदस्थापित किया गया है।

(ii) उप सचिव स्तर के पदाधिकारी (ग्रेड पे0–6600) को अपर समाहर्त्ता स्तर (ग्रेड पे0–7600) के पद पर पदस्थापित किया गया है जबकि अपरसमाहर्त्ता स्तर (ग्रेड पे0–7600) के पदाधिकारी उपलब्ध है तथा उन्हें उप सचिव स्तर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

(iii) अपर समाहर्त्ता (ग्रेड पे0–7600) के स्तर के पदाधिकारी को अपर सचिव स्तर (ग्रेड पे0–8900) के पद पर पदस्थापित किया गया है। जबकि अपर सचिव स्तर (ग्रेड पे0–8900) के पदाधिकारी उपलब्ध है।

(iv) संयुक्त सचिव स्तर के (ग्रेड पे0–8700) पदाधिकारी को उनके ठीक कनीय पद अपर समाहर्त्ता (ग्रेड पे0–7600) स्तर के पद पर पदस्थापित किया गया है। जबकि अपर समाहर्त्ता स्तर (ग्रेड पे0–7600) के पदाधिकारी उपलब्ध है।

उपरोक्त कारणों से संघ के वरीय पदाधिकारी को अपने कनीय पदाधिकारी के अधीनस्थ सरकारी कार्य का निर्वहन् करना पड़ेगा, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सर्वथा उचित नहीं है तथा सरकार के द्वारा बनाये गये प्रशासनिक ढ़ाँचा के वरीयता पदसोपान के विपरित है।

(3) <u>सरकार के द्वारा स्थापित प्रावधान का अनुपालन नहीं होन के कारण संघ को माननीय उच्च न्यायालय में जाना पडा है जो इस प्रकार है</u> :—

क्रम	विषय	सरकार का प्रावधान	CWJC/MJC सं0
1	पुराने वेतनमान के विभिन्न प्रक्रम में वेतन प्राप्त कर रहे बि0प्र0से0 के मूल कोटि के पदाधिकारियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नए वेतन बैंड पी0बी0—3 मं एक ही स्तर 15600/— (न्यूनतम बैंड वेतन) पर वेतन निर्धारित कर ठनदबी कर दिए जाने के संबंध में।	वित्त विभाग के परिपत्र—630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका—7 (A) (ii) में विहित है कि पुराने वेतनमान के दो से अधिक वेतनप्रक्रम का नए वेतन बैंड में एक स्तर पर गुच्छन (Bunching) होने की स्थिति में वेतन का निर्धारण किस तरह किया जाए ताकि दो से अधिक वेतन प्रक्रम एक साथ गुच्छित (Bunched) न हो।	CWJCNo-21681/2013
2	पी0बी0—3, ग्रेड पे0—5400 से पी0बी0—2 ग्रेड पे0—5400 में Notional पे—बैंड के नामान्तरण को प्रथम MACP परिभाषित करने के संबंध में।	1. बि0प्र0से0 के मूल कोटि के पदाधिकारी को पी0बी0—2 एवं ग्रेड पे0—5400 तथा सम्पुष्टि एवं चार वर्ष की सेवा के बाद पी0बी0—3 ग्रेड पे0—5400 छठा वेतन पुनरीक्षण में अनुमान्य किया गया है। 2. योगदान के समय मूल वेतन—14880/— होता है। चार वर्ष की सेवा एवं सम्पुष्टि के उपरान्त वेतन पी0बी0—2 में ही बैड वेतन 17440/— हो जाता है जो पी0बी0—3 के न्यूनतम वेतनमान 15600/— से अधिक है। 3. अतः पी0बी0—3 में नामान्तर केवल Notional होता है कोई वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त होता है।	CWJC No-24341/2013
3	40 (1997 योगदान वर्ष), 41 (1999 योगदान वर्ष) एवं 42 (2000 योगदान वर्ष) बैच के बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों को 01.01.2009 एवं उसके बाद सेवा में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि से ग्रेड पे0—6600 में पहला वित्तीय उन्नयन स्वीकृत नहीं किए जाने के संबंध में।	01.01.2009 को या उसके बाद एक वेतनमान में 10 वर्ष तक कार्यरत कर्मी को अगले ग्रेड पे0 में पहला वित्तीय उन्नयन दिया जाना है।	MJC of CWJC-888/14

क्रम	विषय	सरकार का प्रावधान	CWJC/MJC सं0
4	छठा वेतन पुनरीक्षण लागू होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्टि के समय सेवा सम्पुष्टि आदेश की तिथि तक की Notional वेतनवृद्धि नहीं दिए जाने के संबंध में एवं Departmaental Examination Rules-Part- I&II (1961) ds Rule -24 के उल्लंघन के संबंध में	Rule 24- Regulation of ..... "Provided further that if passing of the Departmental Examination or the confirmation of the officer or the submission of records of cases be delayed, the conditions mentioned above, to draw pay at the stage in the time-scale to which he would have been no delay in passing of the departmental examination or in his confirmation, or in the submission of records of cases.	CWJC No- 19165/14
5	विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव के समकक्ष पद पर सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को विशेष वेतन नहीं दिए जाने के संबंध में।	1. सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों/निदेशालयों में विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव के समकक्ष पदों पर विशेष वेतन अनुमान्य है। 2. परन्तु विशेष कार्य पदाधिकारियों/समकक्ष पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों को वेतन पुर्जा में विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है। 3. ,अन्य पदों पर भी जहाँ पदनाम में उप सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव से भिन्न समक्षकीय पदनाम यथा सहायक निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक आदि से पदस्थापन होता है, विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है।	CWJC-2259/14

(4) <u>विगत एक वर्षों से प्रोन्नति नहीं देने के संबंध में</u> :–

उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन द्वारा ज्ञापांक 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी गई है जबकि माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है। प्रोन्नति समिति पर रोक हटाने के लिए जनतांत्रिक विरोध भी प्रकट किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई समाधान नहीं निकाला गया और न ही इस बिन्दु पर वार्त्ता की पहल की गई।

उपरोक्त के संदर्भ में हमलोंगो ने यह सुझाव दिया था कि :–

(i) दिनांक 12.08.2014 के बाद जो पदाधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये है उनकी अगर प्रोन्नति देय थी तो उन्हें उस तिथि से प्रोन्नति/पेंशन का लाभ दी जाए।

(ii) दिनांक 12.08.2014 के बाद देय प्रोन्नति की तिथि को अगली प्रोन्नति के लिए Notional मान्यता दी जाए।

ऐसा देखा गया है कि जो संवर्ग उग्र प्रदर्शन का रूप इस्तेमाल किये है सरकार उनकी ही बात सुना करता है। हमलोगों का बिन्दु आरक्षण बिल्कुल नहीं है यह सरकार का नीतिगत मामला है। यह बात तो समझ में आती है कि सरकार अपने नीति के लिए लड़ाई लड़ रहीं है परन्तु इस न्यायालीय लड़ाई से वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो नाहक परेशान हो रहे है उनका समाधान नहीं किया जाना उचित नहीं है।

(5) <u>जिला पदाधिकारी के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन</u> :–

दिनांक –29.03.1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी की उपस्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा की केन्द्रिय कार्यकारिणी के साथ वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया था कि "जिला पदाधिकारी के पाँच पदो को आई0ए0एस0 के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पद से भरा जायेगा।" उक्त बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री विजय शंकर दुबे के अतिरिक्त वित्त आयुक्त एवं गृह सचिव भी उपस्थित थे। पुनः दिनांक 27.10.2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी की उपस्थिति में उपरोक्त पर अनुपालन करने का निर्णय हुआ। परन्तु अब तक इसका अनुपालन हुआ है। मुख्यमंत्री स्तर पर हुए निर्णय का अनुपालन न होना निराशाजनक है। कई राज्यों यथा .उड़ीसा, बंगाल, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मु एण्ड काश्मीर, असम में राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन जिला पदाधिकारी के रूप में किया जाता है।

उपरोक्त पाँच बिन्दु जो वर्णित किये गये है वो संघ की कोई नई मांग नहीं है बल्कि सरकार के बनाये गये प्रावधान को लागू करने के लिए है। [redacted] बिहार राज्य के निवासी बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी के साथ इस प्रकार का न्याय नहीं होना सुशासन के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त बातें संघ के द्वारा भवदीय को संज्ञान में लाने के मात्र से है क्योंकि हो सकता है भवदीय को उपरोक्त की सही–सही जानकारी नहीं दी गई हो। सम्भव हो तो अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल कर उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर करने की कृपा करेंगे।

ह0/–
(सुशील कुमार)
महासचिव

ह0/–
(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुशील कुमार)
महासचिव

31.8.15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.8.15

ह0/–
(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– निदेशक, सभी दुरदर्शन को प्रसारणार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/8/15
(सुशील कुमार)
महासचिव

मुख्य सचिव बिहार का गोपनीय कोषांग
31 AUG 2015
बिहार, पटना-800015

S. S. Gupta